"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च 2016 — चैत्र 1, शक 1938

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 16-01/2016/नौ/55-4. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त सीटों एवं निजी चिकित्सा, निजी दंत चिकित्सा तथा निजी भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के शासकीय नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2016 कहलायेंगे ।

(2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में तत्काल प्रभाव से प्रवृत होंगे ।

(3) राज्य के शासकीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त सीटों एवं निजी चिकित्सा, निजी दंत चिकित्सा तथा निजी भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के शासकीय नियतांश की सीटों में प्रवेश, इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा ।

2. **परिभाषायें.-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, -

(क) "प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के अंतर्गत आयोजित प्रवेश परीक्षा;

(ख) "एजेंसी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत परीक्षा एजेंसी;

(ग) "वास्तविक निवासी" से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (प्ररूप-अनुसूची-एक);

(घ) "श्रेणी" से अभिप्रेत है इन चारों श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात् - "अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति", "अन्य पिछड़ा वर्ग" (गैर क्रीमीलेयर) तथा "अनारक्षित";

(ङ) "संवर्ग" से अभिप्रेत है महिला, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नि:शक्तजन;

(च) "सैनिक" संवर्ग से अभिप्रेत है प्रतिरक्षा कार्मिकों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक तथा ऐसे प्रतिरक्षा कार्मिक जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गए हों और जो छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हों अथवा वर्तमान में (परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को या उसके पूर्व की तिथि से) छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो, के पुत्र/पुत्री (प्रमाणीकरण का प्ररूप-अनुसूची-दो);

(छ) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी" संवर्ग से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी, जिनके दादा-दादी अथवा नाना-नानी का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्टोरेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में सम्मिलित है (प्रमाणीकरण का प्ररूप-अनुसूची-तीन);

(ज) "नि:शक्तजन" संवर्ग से अभिप्रेत है ऐसा स्थायी नि:शक्तजन, जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का सं. 1) की धारा 2 (झ) के अधीन परिभाषित शारीरिक रूप से नि:शक्त की श्रेणी में आता हो, किन्तु जो भारतीय चिकित्सा परिषद्/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा एम. बी. बी.एस./बी. डी. एस. में प्रवेश के लिए अयोग्य नहीं माना गया हो (योग्यता हेतु प्रमाणीकरण-अनुसूची-चार);

(झ) "बिना संवर्ग" से अभिप्रेत है वे व्यक्ति, जो खण्ड 2 (ङ) में उल्लेखित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों;

(ञ) "परिषद्" से अभिप्रेत है एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं बी. डी. एस. पाठ्यक्रम हेतु भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्;

(ट) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ में स्थित शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दन्त चिकित्सा/भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालय;

(ठ) "संचालक" से अभिप्रेत है संचालक चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़;

(ड) "संचालनालय" से अभिप्रेत है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़;

(ढ) "अल्पसंख्यक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यको द्वारा राज्य में स्थापित महाविद्यालय, जो ऐसे नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त अथवा अधिसूचित हो, जो कि राज्य शासन द्वारा विहित किए जायें;

(ण) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(त) "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् रिक्त रह गई सीटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की तिथि में की गई प्रक्रिया, जिसमें अभ्यर्थी को आबंटन स्थल पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा;

(थ) "शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा निजी चिकित्सा अथवा दंत चिकित्सा अथवा भौतिक चिकित्सा महाविद्यालय, जिसने चल सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति, शासकीय अस्पताल अथवा किसी अन्य शासकीय सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार अथवा आर्थिक सहायता के रूप में राज्य शासन से कोई भी सहायता प्राप्त की हो;

सामान्य :-

1. स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम/प्रवेश परीक्षा, आबंटन, प्रवेश, विश्वविद्यालय, भारत सरकार/राज्य सरकार/महाविद्यालय की स्वायत्त सोसायटी के तत्समय लागू नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित एवं विनियमित होंगे।
2. स्नातक पाठ्यक्रम, प्रवेश की तिथि से विश्वविद्यालय/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित पूर्णकालिक अवधि के पाठ्यक्रम होंगे। सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को अशकालिक निजी प्रैक्टिस अथवा अन्य कोई जॉब करने की अनुमति नहीं होगी।
3. अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक सही जानकारी देना एवं प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व वे नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें और पूर्ण एवं सही आवश्यक जानकारी भरें और यथा आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें, ऐसे करने में विफल होने पर, आवेदक, प्रवेश परीक्षा, आबंटन एवं प्रवेश आदि के हकदार नहीं होंगे।
4. प्रत्येक अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के नियमों और विनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर संबंधित महाविद्यालयों के लिए जारी किए गए सभी निर्देश लागू होंगे।

3. **पात्रता.**– केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो और जिसने परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो

तथा

जिसने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्ड़ल की बारहवीं कक्षा की परीक्षा या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा मण्डलों की समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी विषयों में उत्तीर्ण की हो तथा भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी में अनारक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 40 प्रतिशत अर्जित किए हों।

तथा

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जिसने प्रवेश परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित श्रेणी के निःशक्तजन संवर्ग के अभ्यर्थी के लिये 45 प्रतिशत अंक अर्जित किये हों। (भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अर्हकारी अंक नहीं होंगे)

4. **अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान.**– अल्पसंख्यक महाविद्यालय, प्रवेश हेतु अतिरिक्त अन्य अर्हतायें भी निर्धारित कर सकेंगे परंतु उन्हें ऐसी अर्हताओं के संबंध में परीक्षा वर्ष के 15 मार्च तक इस संबंध में संचालक को लिखित सूचना देनी होगी जिससे कि उन्हें प्रवेश विवरणिका में सम्मिलित किया जा सके।

5. **सीटों का आरक्षण.**– (1) प्रत्येक महाविद्यालय में राज्य कोटे की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिये 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

(2) सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु 3 प्रतिशत, निःशक्तजन संवर्ग हेतु 6 प्रतिशत एवं महिला सवंर्ग हेतु 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा। निःशक्तजन संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों को निम्नानुसार भरा जायेगा :–

(अ) सबसे पहले सीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगो की स्थाई लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इस प्रकार नहीं भरे गये सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की निचले अंगों की स्थाई लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ब) भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) के प्रतिमानकों के अनुसार निम्नलिखित अशक्ततायें (निःशक्तजन) पात्र नहीं हैं–

(i) ऊपरी अंग निःशक्तजन;

(ii) दृष्टिबाधित निःशक्तजन;

(iii) बधिरीय निःशक्तजन;

(iv) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक निःशक्तजन;

(v) काउंसिलिंग के समय 3 माह से अधिक पुराना पात्रता प्रमाण पत्र।

6. **चयन प्रक्रिया.**–(क) प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन :–

(1) प्रवेश परीक्षा हेतु एजेंसी द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई पात्रता संबंधी जानकारी जैसे मूल निवासी, आरक्षण श्रेणी एवं संवर्ग (महिला, निःशक्तजन) में चयन उपरांत परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(ख) परीक्षा परिणाम :– एजेंसी सभी अभ्यर्थियों की श्रेणीवार प्रावीण्य सूची, और अंक सूची घोषित करेगी जिसमें अंको के अतिरिक्त जन्म तिथि, निःशक्तता प्रतिशत और संवर्ग भी

दर्शित होंगे। उपरोक्तानुसार तैयार प्रावीण्य सूची में से पात्र अभ्यर्थियों की सूची एजेंसी द्वारा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित की जायेगी।

प्रावीण्य सूची में नियम 3 और नियम 4 के अनुसार पात्र अभ्यर्थी ही सम्मिलित किये जायेंगे। राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर प्रावीण्य सूची के अनुक्रम अनुसार नियम 7 के अनुरूप काउंसिलिंग के द्वारा पात्र अभ्यर्थी को महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का आबंटन किया जायेगा।

7. **काउंसिलिंग प्रक्रिया.**— राज्य कोटे के चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के उपलब्ध सीटों में प्रवेश के लिये नियम 6 के अनुसार तैयार की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर संचालनालय द्वारा निम्नानुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग की जायेगी—

(1) उपरोक्त उल्लेखित अनुसार प्रावीण्य सूची घोषित होने के बाद, संचालनालय द्वारा दो चरणों में काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय सारणी संचालनालय की वेबसाइट पर तत्समय प्रकाशित (घोषित) की जायेगी;

(2) आनलाईन काउंसिलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आबंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा एवं आबंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होंगी। अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु पंजीयन के समय पात्रता संबंधी मूल दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रतियाँ ऑनलाइन काउंसिलिंग पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

(3) ऑनलाइन काउंसिलिंग में पंजीयन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक उपरोक्तानुसार उल्लेखित मूल दस्तावेज अपलोड नहीं किये जाने पर अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया हेतु अपात्र होगा। पंजीयन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किये हुए मूल दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। उक्त तिथि तक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दायित्व पूर्णरूपेण अभ्यर्थी का होगा।

(4) ऑनलाइन काउंसिलिंग शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु राशि रूपये 1000/— तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हेतु रूपये 500/— संचालक, चिकित्सा शिक्षा को देय होगी।

(5) ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया मात्र प्रथम काउंसिलिंग के समय उपलब्ध होगी। काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के समय ही पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

(6) काउंसिलिग हेतु पंजीयन करने की अंतिम तिथि तक जिन अभ्यर्थियों ने पंजीयन नहीं कराया है, वे काउंसिलिंग हेतु स्वयमेव अपात्र हो जायेंगे;

(7) वेबसाइट पर जारी काउंसिलिंग की समय सारणी के अनुरूप, अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी उपलब्ध समस्त महाविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों का विकल्प क्रमानुसार देने हेतु समर्थ होंगे;

(8) एक बार अंतिमीकरण हो जाने पर प्राथमिकता क्रम में, परिवर्तन नहीं किया जायेगा, परंतु काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रारंभ होने पूर्व घोषित सीटों के अतिरिक्त अन्य नई सीटें जो पूर्व में प्रदर्शित नहीं हुई हो, के लिये प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन मान्य होगा। परन्तु इस

हेतु नवीन पंजीयन स्वीकार्य नहीं होंगे तथा पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन करने की पात्रता होगी;

(9) प्रावीण्य सूची के अनुसार पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा जो संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा;

(10) आबंटन होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को आबंटित संस्था में आबंटन पत्र में उल्लेखित प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। आबंटन पश्चात संस्था में संवीक्षा हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी चालू शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया से स्वयमेव बाहर हो जायेगा। शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, किन्तु निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं होगा। तथापि आबंटित शासकीय संस्था में प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। दस्तावेजों की संवीक्षा में अर्ह होने पर अभ्यर्थी आबंटित संस्था में प्रवेश लेकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे;

(11) वे अभ्यर्थी, जो प्रवेश लेने के विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें वेबसाइट से आबंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी अनुरूप आबंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराना होगा। प्रवेश उपरान्त अभ्यर्थी के पास काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने अथवा अपना प्रवेश स्थायी कर काउंसिलिंग के समस्त आगामी चरणों से बाहर जाने के विकल्प पोर्टल पर चयन कर सकेंगे;

(12) (एक) महाविद्यालय के द्वारा, अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने पर दस्तावेजों की संवीक्षा पश्चात् चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा;

(दो) दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सकीय परीक्षण में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा;

(तीन) यदि उल्लेखित उपरोक्त प्रक्रिया में विफल हो जाते हैं तो वे चालू शैक्षणिक सत्र के लिये, प्रवेश प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर दिये जायेंगे;

(चार) समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए, निर्धारित तिथि के भीतर अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा तथा तद् द्वारा आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा।

(पॉच) अपग्रेड हो कर महाविद्यालय/पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय चरण द्वारा आबंटित महाविद्यालयों के शिक्षण शुल्क के अंतर की राशि (कम/अधिक) यथा स्थिति क्रमशः अभ्यर्थी को सौंप दी जायेगी अथवा अभ्यर्थी से ली जायेगी। शेष राशि पूर्व प्रवेशित संस्था द्वारा नवीन आबंटित संस्था को अंतरित कर दी जायेगी।

शासकीय/निजी संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि पूर्व सीट का परित्याग करता है तो जमा की गई शुल्क में से आदेशिका शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) के रूप में 4000/–रू. काटकर शेष राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जायेगी;

(छः) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा;

(13) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग भी ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी;

(14) द्वितीय चरण के काउंसिलिंग द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि तक रिक्त रह गई सीटों के लिए अंतिम प्रवेश प्रक्रिया से प्रत्यक्ष कांउसिलिंग की जायेगी। अंतिम प्रवेश प्रक्रिया में सर्वप्रथम इन रिक्त सीटों में अपग्रेड प्रक्रिया प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में की जायेगी, जिसमें ऐसे सभी अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, जिन्होंने आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेश लिया है। इसके पश्चात् रिक्त रह गई सीटों का प्रदर्शन किया जायेगा।

(15) अंतिम प्रवेश प्रक्रिया में केवल शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की रिक्त सीटें सम्मिलित की जाएगी; "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" में पूर्व से पंजीकृत अनाबंटित (जिन्हें शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा में सीट आबंटित नहीं हुई हो) अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जिन्हें इस प्रक्रिया हेतु स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है;

(16) संचालक द्वारा प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन कर अथवा संचालनालय के वेबसाइट पर अथवा अन्य प्रचलित तथा विद्यमान संचार माध्यमों से सफल/पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु उनके स्वयं के व्यय पर आमंत्रित किया जाएगा। सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अभ्यर्थी स्वयं संचालक के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा सूचना या जानकारी न मिलने की स्थिति में संचालनालय जिम्मेदार नहीं होगा;

(17) भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) पाठ्यक्रमों की स्नातक सीटों में प्रवेश हेतु समस्त चरणों हेतु प्रत्यक्ष (ऑफ लाईन) काउंसिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

(18) काउंसिलिंग एवं पात्रता संबंधी निर्देश पृथक से संचालक द्वारा विवरणिका के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे, जो संचालनालय के वेबसाईट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पात्रता के संबंध में तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया के संबंध में विवरणिका भलि–भांति अवलोकन कर लें।

8. **आरक्षित सीटों का अन्य आरक्षित श्रेणी/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन/अंतरण.–** (1) किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को परिवर्तन/अंतरण छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्र. 9 सन् 2012) में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) आरक्षित श्रेणी के किसी भी संवर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्ति सीटों को पहले उसी संवर्ग की अन्य श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जायेगा। उसी संवर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर मूल श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) संवर्ग/श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया में संवर्ग परिवर्तन पहले होगा फिर श्रेणी परिवर्तन होगा।

9. **शासकीय नियतांश की सीटों का प्रबंधन नियतांश सीटों में परिवर्तन.–** शासकीय नियतांश की सीटें यदि द्वितीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें राज्य कोटे की

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात प्रबंधन नियतांश की सीटों में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

10. **राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हेतु बंधपत्र (बॉण्ड).** – (1) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र के लिए अनिवार्य होगा कि स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद, शासन द्वारा अधिसूचित किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्षों की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र अथवा संस्था में कार्य करेगा। अन्य पाठ्यक्रमों हेतु यह अनिवार्यता नहीं होगी।

(2) शासन के अधीन कार्य करने के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) (प्ररूप अनुसूची–पांच)– प्रवेश के समय अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र में यह बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे नियम 10 (1) के प्रावधानों से सहमत है और यदि वे शासन के अधीन कार्य न करने के विकल्प का चयन करते है, तो वे नियम 10 (3) में यथा निर्धारित बंधपत्र राशि के अलावा राज्य शासन द्वारा उसके अध्ययन की अवधि के दौरान उसे भुगतान किये गए किसी भी छात्रवृत्ति/शिष्यावृत्ति की सम्पूर्ण राशि को जमा करेंगे। उसके द्वारा सम्पूर्ण देय राशि के जमा होने के बाद ही अभ्यर्थी को यथा निर्धारित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(3) बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि – अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि रूपये 25,00,000/– एवं आरक्षित श्रेणी के छात्र के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि रूपये 20,00,000/– होगी।

(4) इन नियमों के तहत् एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आरंभ में अस्थायी (अनंतिम) स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। आरंभ में स्नातक योग्यता का केवल अस्थायी (अनंतिम) पंजीयन राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा राज्य मेडिकल पंजी (रजिस्टर) में किया जाएगा।

(5) अंतिम वर्ष के परिणाम की घोषणा के एक माह के भीतर स्नातक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची आयुक्त को विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की जाएगी।

(6) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् छः माह की कालावधि के भीतर आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ऐसे स्नातक डॉक्टरों को नियुक्ति आदेश जारी करेंगे, ऐसा न करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा भरा गया बॉण्ड स्वमेव निरस्त समझा जाएगा।

(7) नियम 10 (1) के अनुसार सेवा अवधि शर्त पूरी करने के बाद अथवा नियम 10 (3) के अनुसार समस्त देय राशि जमा कर दिए जाने के बाद, जैसी भी स्थिति हो, (अभ्यर्थी द्वारा लिए गए विकल्प पर निर्भर) आयुक्त अभ्यर्थी को नियम 10 (1) के प्रावधनों के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगा।

(8) तत्पश्चात् अभ्यर्थी अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी।

(9) राज्य मेडिकल/डेंटल रजिस्टर (पंजीयन) में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदाय अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा।

(10) नियम 10 (1) का अनुपालन नहीं करने के लिए दण्ड – यदि कोई अभ्यर्थी, शासन के अधीन सेवा करने का चयन करता है और नियम 10 (1) के अनुपालन न करने का दोषी पाया जाता है, तो नियम 10 (3) में यथा उल्लिखित बॉण्ड की सम्पूर्ण राशि के अलावा राज्य शासन द्वारा उसके अध्ययन की अवधि के दौरान उसे भुगतान की गई कोई भी छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि अथवा उसके भुगतान किए गए वेतन की सम्पूर्ण राशि की वसूली अभ्यर्थी से भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को नियम 10 (7) में यथा उल्लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किए जाएगा, जब तक कि सम्पूर्ण देय राशि की वसूली नहीं हो जाती।

11. **प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात्/एमबीबीएस पाठ्यक्रम के मध्य अवधि में सीट परित्याग हेतु अर्थदण्ड बंधपत्र.–** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात् अथवा एमबीबीएस पाठ्यक्रम के माध्य से सीट का परित्याग करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राशि रूपये 25,00,000/– (रूपये पच्चीस लाख मात्र) एवं आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी के लिए राशि रूपये 20,00,000/– (रूपये बीस लाख मात्र) होगी।

12. **प्रवेश रद्द करना.–** यदि यह पाया जाए कि कोई अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूक वश प्रवेश मिल गया है, तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश महाविद्यालय प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान स्वतः बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका की स्थिति में, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सभी संबंधित लोगों पर बंधनकारी होगा।

13. **कठिनाइयों का निराकरण.–** इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में राज्य शासन उसके निराकरण हेतु आदेश जारी कर सकेगा।

14. **प्रावीण्य सूची की समाप्ति.–** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्रावीण्य सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट/सीटें कालातीत हो जायेगी।

15. **निरसन.–** इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से ''छत्तीसगढ़ चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा स्नातक/भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) प्रवेश परीक्षा'' से संबंधित पूर्व के समस्त नियम निरसित हो जाएंगे तथापि उन नियमों के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

अनुसूची–एक

छत्तीशसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्ररूप

दिनांक.......................................

क्रमांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...आत्मज/आत्मजा/पत्नी ....निवासी...तहसील... जिला ....छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि : वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
2. (क) वह (व्यक्ति)

   अथवा

   (ख) उसके पालको में से कोई –

   अथवा

   (ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।
3. उसके पालकों में से कोई भी –

   (क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

   अथवा

   (ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,
4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

   अथवा

   (ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है ।

   उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के बाद, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :
5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है।
6. उसने छत्तीससगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्न लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात :–

   (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

   (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडीयट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा।

7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ के वास्तवित निवासी होंगे:

(क) छत्तीसगढ राज्य को नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकरियों की पत्नी / पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ शासन के अधिकारियों / कर्मचारियों की पत्नी / पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी / पति अथवा संतान।

(घ) छत्तीसगढ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी, उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

ऐसे बाबत् जो उपरोक्ता मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी / पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षिर

पदनाम एवं सील

अनुसूची—दो

प्ररूप (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण—पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित

प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक......................................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती (माता / पिता का नाम) .... जो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित .... परीक्षा के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री / कुमारी (छात्र / छात्रा का नाम) .... के पिता / माता है।

(अ) थलसेना / वायुसेना / नौ सेना के / की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्त / सेवामृक्ति के समय वे .... पद पर थे / थी और उनका सर्विस क्रमांक .... था।

(ब) उन्होंने थलसेना / वायुसेना / नौ सेना में .... पद पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है / सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है / सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष .... में हो चुकी है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक ....

कार्यालय सील

अनुसूची—दो

प्ररूप (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण—पत्र

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थयी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

दिनांक......................................

संदर्भ क्रमांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) जो कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री .... (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता है, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील .... जिला .... छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील, सैनिक कल्याण अधिकारी

स्थान ....

दिनांक ....

अनुसूची–दो

प्ररूप (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

दिनांक...

संदर्भ क्रमांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) जो कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री .... (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) है, वह थल सेना/वायु सेना/नौ सेना में .... ओहदे पर सर्विस कमांक .... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक है और वह प्रतिरक्षा .... इकाई में पदस्थ हैं। वे इस इकाई में दिनांक .... से सेवारत है।

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

स्थान ....

दिनांक ....

कार्यालय सील, कमाडिंग ऑफिसर

अनुसूची–तीन

प्ररूप

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण – पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक.......................................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) .... श्री/सुश्री ....(अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है श्री/सुश्री .... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला .... के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक .... पर पंजीकृत है।

स्थान ....

दिनांक ....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत
डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर का
राजस्व अधिकारी पदनाम एवं सील

अनुसूची—चार

प्ररूप

राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण—पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़

फोन नं.—0771—2234451, फैक्स नं. 0771—2222212 E-mail : cgdme@rediffmail-com

क्रमांक / / संचिशि / रायपुर, दिनांक /

प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ...., पिता— श्री ...., उम्र—... ....वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक................के साथ संलग्न जिला / संभागीय मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र क्रमांक................, दिनांक.....................के परीक्षण एवं आवेदक के पूर्ण परीक्षण उपरांत उनकी शारीरिक निःशक्तता ....पाई गई। उनकी कुल निःशक्तता .... प्रतिशत है ।

पहचान का निशान— ....

(अध्यक्ष)
राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)
राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)
राज्य मेडिकल बोर्ड

अनुसूची–पांच (क)

(250/– के नानज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धत पत्र (बॉण्ड) का प्ररूप)

1. मैं..................................पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.. निवासी.................................. छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।

2. यह कि मुझे वर्ष .... में आयोजित "पीएमटी–............." प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ....में शैक्षणिक सत्र .... में .... सीट आबंटित की गई है ।

3. यह कि वर्ष .... की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.............................रायपुर दिनांक .... छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भॉति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका .... जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियॉ दी गई हैं, जिसे मैंने भली–भॉति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।

4. मैं एतद्द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षो की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।

5. यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पश्चात् किया जायेगा।

6. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री.............................. पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..निवासी...............................की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपये ....शब्दों में (रूपए.............................. ....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।

7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी एवं राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जायेगा ।

9. एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जायेगा।

10. यह कि मुझे ज्ञात है कि विवाद की स्थिति में, छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता

गवाह : –

1.............................हस्ताक्षर

2............................. हस्तासक्षर

गवाह नं. 1 का फोटो	गवाह नं. 2 का फोटो	गवाह नं. 3 का फोटो

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.............................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी ....

उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

अनुसूची–पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यिर्थियों हेतु)

(250/– के नानज्युोडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्ररूप

मेरा पुत्र/पुत्री ....आत्मज/आत्मजा श्री.. निवासी.. छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय ....में स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश नियम – ...." एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली–भांति पढ़कर समझ लिया है।
2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।
3. मैं एतद्द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि :–
   (क) मेरा पुत्र/पुत्री स्नातक पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्षों की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र/संस्था में कार्य करेगा/करेगी।
   (ख) मेरा पुत्र/पुत्री के द्वारा उपरोक्त अवधि तक ग्रामीण सेवा करने का प्रमाण पत्र जिसे आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के द्वारा प्रदान किया जायेगा के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उसे स्नातक की उपाधि की प्राप्ति हेतु संस्था प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रदान की जायेगी।
   (ग) मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा ग्रामीण सेवापूर्ण न करने की दशा में मेरे पुत्र/पुत्री की स्नातक उपाधि व मूल अभिलेख राजसात किये जा सकेंगे।
   (घ) यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिक्षण सत्र .... हेतु एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो मेरे द्वारा रू. 25 लाख (आरक्षित श्रेणी हेतु रू. 20 लाख) तथा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि कोई हो तो) शासन को देय होगी।

पता ....

हस्ताक्षर अभिभावक

फोन नं. ....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..निवासी .... उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह : –

हस्ताक्षर

1................................

प्रतिभूतिकर्ता

2................................

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.